



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58104

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 2544/2026

देवो उर्फ देवेन्द्र पुजारी और 2 अन्य

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

संजय कुमार द्विवेदी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्याय कक्ष संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार द्विवेदी, राज्य के लिए शासकीय अधिवक्ता श्री मनोज गौतम को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन केस क्राइम संख्या 406/2025 में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 131, 115(2), 352, 351(2) और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)व के तहत, पुलिस थाना-फराह, ज़िला-मथुरा में दर्ज है। इस आवेदन में यह प्रार्थना की गई है कि यदि आवेदकों को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थीगण के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थीगण के खिलाफ केवल सामान्य और व्यापक आरोप लगाए गए हैं और किसी भी अपीलार्थी को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कथित अपराध का स्थान प्रथम सूचक के घर के अंदर दिखाया गया है, जो सार्वजनिक दृश्य में नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने किरण बनाम राजकुमार जीवराज जैन मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को सरसरी तौर पर पढ़ने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, और इसलिए अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार्य है। आगे यह भी कहा गया है कि अपीलार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी बताया गया कि अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और जांच संस्था या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपीलार्थीगण को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और बताया कि प्रथम सूचक को नोटिस तामील कराया जा चुका है।

5. प्रथम सूचक को नोटिस पहले ही तामील किया जा चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थीगण और अन्य सह-आरोपियों पर प्रथम सूचक के घर में घुसकर उसकी जाति का हवाला देते हुए उसे गाली देने और मारपीट करने का आरोप है। यह ध्यान दिया जाता है कि घटना स्थल प्रथम सूचक के घर के अंदर बताया गया है, जो सार्वजनिक दृश्य में नहीं है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधिक सिद्धांतों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपीलार्थी की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले में अपीलार्थीगण - देवो उर्फ देवेन्द्र पुजारी और मोहनलाल उर्फ मोहन की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) अपीलार्थी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वे निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उन्हें छूट न दी जाए;

(ii) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) अपीलार्थी संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष अपीलार्थीगण को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



17 मार्च, 2026

नीतू

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"